

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौल

दिनांक फर्द अहकाम

30⁸/₂₅ पत्रावली पेश हुई।
 उपरिक्त; पत्रावली मु० नं०
 वास्ते.....
 दिनांक.....

04⁹/₂₅

पत्रावली पेश हुई। बार - बार आवाज दिवाने के उपरान्त भी वाकीफग एवं उनके अधिकाता उप० नहीं हुए। अतः मु० नं० 105/2021 उनवानी घरमा वगै० वनाम उग्मैरी वगै० दावा बाबत तक्रारमा, हुक्म इम्तनाइ इवाफी अदम पैरवी अदम तजिरी में खारिज किया जाना है। पत्रावली फैसल मुफार होऊ बाद तम्भील नं० से कम की जाऊद राखिल रफ्तार हो।
 औरवा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**उपखण्ड अधिकारी
 हिण्डौल सिटी (कौली)**